प्रतिवेदन

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अर्न्तगत रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्ण प्रस्ताव। 0. 42 हे0 सिविल 1.33 हे0 वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 कुल भूमि 1.75 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली में पोखरीके अर्नात रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृत शासनादेश संख्या 3278/III (2)/17 – 04 (एम0एल0ए0) 2015 दिनांक 03/01/2017 के द्वारा 5 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 42.62— लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 5 कि0मी0 आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग उडामाण्डा– रौता मोटर मार्ग के कि0मी0 23 से प्रारम्भ हो कर रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम–मज्याडी, विरसण सेरा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय पोखरी से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निधारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1—नाप भूमि 2500	मी0 x 7 मी0	=	1.75 हे0
2—सिविल वन भूमि 600	मी0 x 7 मी0	=	0.42 हे0
3— आरक्षित :— 900	मी0 x 7 मी0	=	0.63 हे0
4. वन पंचायत :— 1000	मी0 x 7 मी0	=	0.7 हे0
4. मक डिस्पोजल हेतु		=	0.27 हे0
	योग	=	3.5 हे0 + 0.27 हे0 = 3.77 हे0

अतः मार्ग निर्माण हेतु 1.75 हे0 सिविल/आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
	पोखरी	पोखरी	पोखरी